प्रकरण संख्या 54/2020 हमीरा व अन्य बनाम सोनाराम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.09.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता मांगाराम द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बेकरिया में वाद पत्र की परिशिष्ट ''अ'' अंकित भूमियां स्थित हैं, जिस पर वादी एवं प्रतिवादी का आधे–आधे भाग पर कब्जा चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादी दोनों सगे भाई हैं। अतः वाद पत्र की परिशिष्ट ''अ'' अंकित आराजियात का वाद को 1/2 हिस्से का तथा शेष 1/2 हिस्से का प्रतिवादी को खातेदार घोषित किया जाकर इसी अनुसार विभाजन कराया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वीकारोक्ति का जवाब प्रस्तुत किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई तनकी कायम नहीं की गयी तथा उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 05.09.2008 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 10.08.2020 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से वकील श्री हरगोविन्द भट्ट उपस्थित हुए। औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से वकील श्री कमलेश चौहान हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी उन्हें प्रथम बार दिनांक 02.07.2020 को हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील मयाद में शुमार की जाकर विलम्ब माफी प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर जवाब में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से आदेश 41 नियम 3 ए सपठित धारा 151 जा.दी. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि बंटवारे की	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.10.25 11:35:20 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री सहमति के आधार पर जारी की गयी है तथा ऐसे आदेश के विरूद्ध कोई अपील लाई नहीं होती है। आदेश 41 नियम 3 ए के अनुसार सबसे पहले मयाद का बिन्दु तय किया जाना है। अपील करीब 11 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील इसी आधार पर निरस्त फरमायी जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपील हालांकि 11 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, फिर भी प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2008 को डिक्री जारी की गयी, जिसकी पालना अभी तक नहीं हुई है एवं इस हेतु उनका धारा 152 जा.दी. का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। अधिवक्ता उभयपक्ष ने धारा 152 जा.दी. के प्रार्थना पत्र का निर्णय किये जाने हेतु प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया है।

हमने बहस पर मनन कर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत धारा 152 जा.दी. का आवेदन अभी तक विचाराधीन है, जिस पर सर्वप्रथम निर्णय किया जाना न्यायहित में हम उचित समझते हैं। तद्नुसार पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में धारा 152 जा.दी. के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों को सुनकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.11.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:35:20 IST
Reason: SelfAttested

(एम.एल. चौहान)
[illegible]–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर